

51

रमेश सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2015

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5221/55ए/10/छ:/विविध/मऊ-2012-13, दिनांक 16 मार्च, 2015 व पत्र संख्या-5282/55ए/10/छ:/विविध/मऊ-2012-13, दिनांक 18 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 में जनपद-मऊ की न0पा0परि0 मऊ की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 11 परियोजनाओं हेतु कुल रू0 236.70 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रू0 118.35 लाख (रूपये एक करोड़ अठारह लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

म. प्र. शा. / म. प्र. शा. / ए. ए. / म. प्र. शा. / 21

क्रमशः.....2

5


5/6/15

63470

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासो निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

15. इस धनराशि का उपयोग वार्षिक वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोजिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद, अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करती होगी।
16. उक्त योजनागत स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय वार्षिक वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-शहरी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0रोड/इण्टरलाकिंग : ली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-15-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे करा जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-7/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।


संलग्नक-सथोक्त।

भवदीय,

 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-469/2015/1046 (1)/69-1-2015, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवा तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र0 शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।

समादेश संख्या- 469/2015/1046/69-1-15-13(म0व0-83)/2015, दिनांक 04 जून, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	अवधि का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वाड़े का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्टीकृत राशि धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	सड़क	न0वा0परि0 सड़क	वाड़ सं0-09 में मो0 निजामुद्दीनपुरा में शैलेश के घर से विश्वनाथ का घर होते हुये बाबूराम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.27	8.61
2.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-09 में मो0 निजामुद्दीनपुरा में अमनू राम के घर से अवध के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.44	8.72
3.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-09 में मो0 निजामुद्दीनपुरा में पिच रोड से चन्द्रा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	28.90	14.45
4.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-04 में मो0 भीटी में शिक्षक सदन से भूषण पेण्टर का घर होते हुये कन्हैया के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.76	3.88
5.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-07 में भुजाटी में खड्गे से कुसहर का घर होते हुये पिचरोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.22	12.61
6.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-02 में मो0 गालिबपुर में मुखदेव राम के घर होते हुये रामबहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.80	11.90
7.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-02 में मो0 गालिबपुर में संत रविदास मन्दिर से प्रदीप एडवोकेट के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.95	6.475
8.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-04 में मो0 भीटी में दुर्गाविजय के घर से पिचरोड इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	18.60	9.30
9.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-13 में मो0 सहादतपुरा में जयलाल के घर से बृजेश का घर होते हुये संजय के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	33.71	16.855
10.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-13 में मो0 सहादतपुरा में मनोज जायसवाल के घर से विक्रम हरिजन के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	33.09	16.545
11.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-13 में मो0 सहादतपुरा में राममूर्ति के मकान से महेन्द्र यादव का मकान होते हुये पिच रोड तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	18.01	9.005
	योग			236.70	118.35

(रूपये एक करोड़ अठारह लाख पैंतीस हजार मात्र)।

hoshi
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।